


राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ५११ /2020 दिनांक 21.04.2020


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/735/2020 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा श्री मनीष अग्रवाल (RJ0323), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों एवं 16.03.2020 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 11.03.2020 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/28/2000/2115 दिनांक :21.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को उनके पत्रांक 06 दिनांक 06.03.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री मनीष अग्रवाल (RJ0323), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द ।


सहायक रजिस्ट्रार